(1)

संoसंo–17 / विविध–1–05 / 2022

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

**प्रेषक,**

**शिशिर कुमार मिश्रा**
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

**सभी प्राचार्य,**
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार
**निदेशक,**
इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना
प्राचार्य,
पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना

**पटना, दिनांक :– / /2022**

**विषय :–** **राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न कैडर / ग्रेड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों के मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1146 दिनांक–31.01.2022

**महाशय,**

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न कैडर / ग्रेड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों के मात्रात्मक आंकड़े विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्यरत प्राध्यापकों, सह–प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के मात्रात्मक आंकड़े संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित सूचना 02 दिनों के अन्दर Hard Copy एवं Soft Copy में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।

**अनुलग्नक–यथोक्त।**

विश्वासभाजन,
ह०/–
(शिशिर कुमार मिश्रा)
**विशेष कार्य पदाधिकारी।**

**ज्ञापांक–17 / विविध–01–05 / 2022– 51 (17)** **दिनांक, पटना–02 / 02 / 2022**

**प्रतिलिपिः–** अधीक्षक, राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/2/22

**विशेष कार्य पदाधिकारी।**

D/Raumish sir/Letter

ह0/–

प्राचार्य

ज्ञापांक– 65/22 दिनांक– 3/2/2022

प्रतिलिपिः–

1) सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए कहना है कि स्वयं सहित अपने नियंत्राधीन पदाधिकारियों की मांगी गई वांछित सूचना विहित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सहित पत्र निर्गत की तिथि से 24 धंटा के अंदर निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करा दें विलम्ब की सारी जवाबदेही आपकी होगी।

2) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

3) प्रभारी प्राध्यापक (प्रशासन) मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

3/2/22

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफ्फरपुर

पत्र संख्या–11/आ0 नी0–I–01/2022 सा0प्र0..............

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–...........

विषय :– सिविल अपील संख्या–629/2022 जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम **लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य के मामले में दिनांक–28.01.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की कंडिका–29 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न कैडर/ग्रेड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों** के मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित न्यायादेश की कंडिका–29 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों के मात्रात्मक आंकड़े (Quantifiable Data) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में यथावांछित आंकड़े दिनांक–10.02.2022 तक निश्चित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में सॉफ्ट कॉपी के साथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सभी प्रशासी विभागों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी प्रकार के कार्यालयों से आंकड़े एकत्र एवं समेकित कर निर्धारित अवधि तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाय। किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय/संलग्न कार्यालयों आदि से प्रेषित आंकड़े सीधे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

**अनु0 यथोक्त।**

नोडल पदाधिकारी– एम0 एस0 अंसारी
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
मो0 नं0–9473388785 (Whatsapp)/7766052441.

विश्वासभाजन
ह0/–
(जय शंकर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D.MINHAJ SIR LETTER

(4)

**सिविल अपील संख्या–629/2022 जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–28.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मात्रात्मक आंकड़े (Quantifiable Data) हेतु विहित प्रपत्र।**

1. सेवा का नाम (उदाहरणस्वरूप बिहार प्रशासनिक सेवा, अभियंत्रण सेवा आदि)–

| क्र0 सं0 | कैडर में ग्रेड का नाम (पदनाम) | कुल स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्ति | अनुसूचित जाति कोटि के कर्मियों का विवरण | | अनुसूचित जनजाति कोटि के कर्मियों का विवरण | | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16 प्रतिशत के आधार पर अनुमान्यता | वास्तविक रूप से कार्यरत की संख्या एवं प्रतिशत | 01 प्रतिशत के आधार पर अनुमान्यता | वास्तविक रूप से कार्यरत की संख्या एवं प्रतिशत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 A | 6 B | 7 A | 7 B | 8 |
| 1 | कनीय अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक आदि अलग–अलग) | | | | | | | | |
| 2 | सहायक अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक आदि अलग–अलग) | | | | | | | | |
| 3 | कार्यपालक अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक आदि अलग–अलग) | | | | | | | | |